

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 42/2010

प्रार्थी:-

1. श्रीमती जैनब बानों पत्नि अब्दुल मजीद जाति छीपा उम्र 57 साल साकिन प्यारा चौक, पाली (राज0) (पुत्री स्वर्गीय गनीजी छीपा, पाली)
2. श्रीमती राबिया बानों पत्नि श्री मोहम्मद यासीन, उम्र 52 साल जाति छीपा साकिन जाकीर हुसैन मार्ग, पाली (राज0) (पुत्री स्वर्गीय गनीजी छीपा, पाली)
3. श्रीमती हसीना बानों पत्नि श्री मोहम्मद हनीफ उम्र 45 साल जाति छीपा साकिन मस्तान बाबा कोलोनी, पाली (राज0) (पुत्री स्वर्गीय गनीजी छीपा, पाली)

बनाम अप्रार्थीगण:-

1. श्री मो0 शाबीर पुत्र स्व0 गनीजी छीपा
2. श्री गुलाम रसूल पुत्र स्व0 गनीजी छीपा पिसरान इब्राहिम छीपा थुलीवाला
3. श्री मेहबूब पुत्र स्व0 गनीजी छीपा साकिन पाली
4. मो0 शरीफ पुत्र स्व0 मो0 युसुफ छीपा
5. श्रीमती हनीफा बेवा पत्नि स्व0 मो0 युसुफ छीपा सभी निवासीगण-38 छीपों का मायला बास, पाली, तहसील व जिला पाली (राज0)
6. श्री जब्बरसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह जाति रजपूत निवासी रामासिया, तहसील व जिला पाली (राज0)
7. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली (राज0)
8. उप पंजीयक अधिकारी, उपपंजीयक कार्यालय, पाली
9. श्री नरपतसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह जाति रजपूत निवासी रामासिया तहसील व जिला पाली (राज0)

उपस्थिति:-

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री चंद्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 सपटित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 7 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

--आदेश--

दिनांक 20.5.2019

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुवान का वाद अदालत में पेश कर दिया है जो काबिल सफल होने के है। प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या साबित है। सारे हालात के परिपेक्ष में अकथनीय हानि एवं सहुलियत की दृष्टि सम्बन्धी वाक्यात प्रार्थीगण के पक्ष में है। मौजा पाली चक नंबर 1 खसरा नंबर 1206/2 रकबा 3 बीघा किस्म नहरी दोयम आई हुई है। पूर्व में खसरा नंबर 1206 रकबा 10 बीघा के खरीददारान इब्राहिम वल्द अहमद, गनी वल्द इब्राहिम एवं मुस्मात हाजरा बेवा गफूर कौम छीपा साकिन देह खातेदार जरिये नामान्तरकरण संख्या 476 करीब दिनांक 18-03-1974 के दर्ज हुआ। जिन्होंने आपस में बंटवाड़ा कर नियमानुसार संदर्भित खसरा नंबर 1206/2 रकबा 3 बीघा मो0 युसुफ, मो0 शाबीर, गुलाम रसूल, मेहबूब पिसरान स्वर्गीय गनी एवं आसीबाई बेवा गनी के नाम रखी जाते इस तौर पर इन्द्राज जमाबंदी में होकर चले आने की स्थिति रही। प्रार्थीगण की वालदा आसीबाई का रीब साल भर पहले देहान्त हो गया तथा मो0 युसुफ का देहान्त भी करीब 3 साल पहले हो चुका है। फौतेदगी म्यूटेशन नहीं होना ज्ञात हुआ है। मुतनाजा जमीन खसरा नंबर 1206/2 रकबा 3 बीघा में आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया जाते उत्तरी व दक्षिणी हिस्से अलग रखे जाते, उत्तरी हिस्सा अगला अप्रार्थी नंबर 1 व 3 के रकबा जिसमें सन् 1975-76 से थुलीवाला ब्लीचिंग के नाम से धुलाई, अडाण, हौदे, केर, पानी बेरा रहते संचालन अप्रार्थी मो0 साबिर व उनका लड़का मो0 इमरान करते आ रहे है। जिस इकाई में उक्त नाम से पहले बिजली कनेक्शन भी रहा है तथा पिछले हिस्से दक्षिण साईड में कुछ अर्से बाद मारवाड़ी ब्लीचिंग नाम से अपना हक हिस्से की अप्रार्थी गुलाम रसूल व मो0 युसुफ पिसरान गनीजी छीपा के धुलाई हौदे, अडाण रहते कार्यरत रहे जो अभी करीब 10

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

साल से बंद हो रखी है जिसमें करीब 4-5 साल से उक्त मुतवफी मो0 युसुफ का लड़का मो0 शरीफ केमिकल सम्बन्धी कार्य करता है। प्रार्थीगण अपनी स्वर्गीय वालीद गनीजी वल्द इब्राहिमजी छीपा थुलीवाला साकिन पाली की जायन्दा पुत्रियां होने तथा पहले खसरा नंबर 1206 की 10 बीघा में वालिद के खरीद हिस्से के समय प्रार्थीगण साथ में काम करते हुए अपनी कमाई में से उक्त जमीन खरीदने में मदद की थी तथा परिवार वालों को वालिद ने प्रार्थीगण का हिस्सा होना बताते जानकारी दे रखी थी। हम प्रार्थीगण अनपढ़ व पर्दानशीन होने से तथा परिवार में मनमुटाव पैदा नहीं करने की नीयत से तथा प्रार्थीगण के भाईयों में से अपने हक हिस्से की जमीन बेचे जाने पर हक हिस्सा दे दिये जाने के आश्वासन पर रही। अभी कुछ दिन पहले मुतनाजा भूमि के दक्षिण हिस्से की पीछे की जमीन करीब डेढ़ बीघा बाला-बाला, चुपचाप बेचान कर राशि ली जाने तथा प्रार्थीगण को सूचित तक नहीं करने की पृष्ठभूमि में जरिये मो0 रफीक वल्द मो0 हनीफजी छीपा साकिन पाली के जमाबंदी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि भाईयों ने मिलावट से हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा होते हुए भी नाम समावेश नहीं करवाया न हिस्से की राशि दी जिस संदर्भ में लिखित आवेदन दिनांक 05-04-2010 को श्री तहसीलदार, पाली, श्री उप जिला कलेक्टर पाली एवं श्री सब रजिस्ट्रार पाली दी गई है। अप्रार्थी मो0 शाबीर एवं मेहबूब द्वारा सही स्थिति से अवगत रहते हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा होना मानते हस्ताक्षर कर पुष्टि की है। हम प्रार्थीगण के वालिद श्री गनीजी वल्द इब्राहिमजी छीपा थुलीवाला का करीब 18 साल पहले देहान्त हो जाने के बाद बतौर वारिसान जायन्दा पुत्रियां के हक हिस्सा मुस्लिम विधि अनुसार अपने भाईयों से आधा रहने की है जिसकी पुष्टि सुन्नी मौलाना जोधपुर के फतवा से भी होती है। खसरा नंबर 1206/2 की पिछली दक्षिण हिस्सा की डेढ़ बीघा भूमि का हस्तान्तरण जरिये बेचाण इकरार दिनांक 31-03-2010 के आधार पर अप्रार्थी जब्बरसिंह को बाजार मूल्य 60 लाख रुपये होते हुए मिलावट से महज 47 लाख रुपये अंकन करा दिये हैं तथा काफी राशि अप्रार्थी मो0 शरीफ को अदा हो जाना मालूम हुआ जिसने अपने अकेले के पास रखते मिलावट से बेचाण करार की आड़ में जबकि काफी रकम बकाया रहते बेचाण रजिस्ट्री तक नहीं होने के बावजूद विधि मंशा के विपरित अकृषि उपयोग हेतु भूमि से अलामात हटाकर कृषि भूखण्डों के तौर पर हस्तान्तरण करते विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपना मुकदमाबाजी बढ़ाकर पेचीदगी पैदा करने को प्रयासरत है। जबकि 47 लाख अंकन अनुसार भी हम प्रार्थीगण का प्रत्येक का हिस्सा रुपये 4,31,818/- प्रतिफल के आने की स्थिति होने से भूमि के बएवज अपने हक हिस्से संदर्भ में प्राप्त करने की अधिकारीणी है। परिवार से विवाद नहीं बढ़ाने की नीयत से ऐसा विकल्प दिया है जबकि कायदे से सम्बन्धित भूमि में बतौर वारिसान हम प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित होने से इंद्राज होना लाजमी है तथा दौरान फौतेदगी म्यूटेशन सही स्थिति रेकॉर्ड पर लाया जाना लाजमी है। हम प्रार्थीगण को भाईयों ने आश्चस्त करने के बावजूद वंचित करते बाला बाला बेचाण किये जाते हमें न तो भूमि में हिस्सा दिया है एवं मिलावट से इंद्राज भी नहीं कराया व अब प्रतिफल भी देने की नीयत नहीं है जिस पृष्ठभूमि में विधि मंशा के हम प्रार्थीगण को हक हकूक से महरूम न रखते मौके की यथास्थिति मुतनाजा भूमि बाबत रखा जाना लाजमी है तथा जिसके हस्तान्तरण होकर अथवा मुतनाजा भूमि को रद्दोबदल करते नुक्शान पहुंचाने की पृष्ठभूमि में अप्रार्थीगण (सिवाय नंबर 7 व 8) के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होना लाजमी है विकल्प में न्यायहित में रिसीवर नियुक्त किये जाने की तजवीज दी जाना लाजमी है। ताफैसला वाद के मुतनाजा भूमि विवादित होने परिपेक्ष में अन्य को हस्तान्तरण किये जाने से रोका जाना आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि सारे हालात परिपेक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाते आगे मुतनाजा भूमि अथवा कृषि भूखण्डों के रूप में हस्तान्तरण अथवा बेचाण न करें एवं यथास्थिति बनाई जाने सम्बन्धी न्यायोचित आदेश फरमावें अथवा विकल्प में ताफैसला वाद के रिसीवर नियुक्ति बाबत आदेश दिया जावे एवं अप्रार्थी संख्या 7 व 8 मुतनाजा जमीन में प्रार्थीगण के हक हकूक परिपेक्ष में बिना सुनवाई एवं निष्पक्ष जांच के कोई विपरित प्रक्रिया नहीं अपनावें।


2. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 6 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के लिए आवेदक अप्रार्थी अजनबी व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत काश्त से संबन्धित अपने अधिकारों के तहत ही प्रकरण प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु ऐसे अधिकारों से प्रार्थीगण एवं आवेदक अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिससे आवेदक अप्रार्थी को इस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण में गलत रूप से पक्षकार बनाया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या ही आवेदक अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण में कथित प्रार्थीगण द्वारा आवेदक अप्रार्थी की कल दिनांक 11-05-10 को तामील करवाई गई है। आवेदक अप्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी ही प्रथम बाद दिनांक 11-05-10 को हुई है। वाद में वर्णित भूमि में से 14 बिस्वा भूमि पंजीकृत

**सहायक कलेक्टर**  
पाली (राज.)


विक्रय-विलेख संख्या 2010004440 के द्वारा उत्तरदाता आवेदक को विक्रय की जा चुकी है एवं 14 बिस्वा भूमि अन्य पक्षकार नरपतसिंह पुत्र मोहनसिंह को पंजीकृत विक्रय-विलेख संख्या 201000441 द्वारा विक्रय की जा चुकी है। विधिनुसार खातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है, जिसके सम्बन्ध में सहखातेदार को रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यह सुस्थापित विधि है, ऐसी स्थिति में आवेदन चलने योग्य नहीं है तथा खारिज किए जाने योग्य है। वाद के विपरित अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण में कथित प्रार्थीगण का एकमात्र अनुतोष वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण अथवा बेचाण नहीं करने एवं यथास्थिति बनाये रखे जाने का ही है। उपरोक्त वर्णित अनुरूप सहखातेदार को विक्रय करने से रोके जाने की विधि नहीं होने से आवेदन पोषणीय ही नहीं है इस कारण भी खारिज किए जाने योग्य है। प्रकरण बदनियतिपूर्वक, मिलावट एवं षडयंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 कथित प्रार्थीगण के सगे भाई हैं तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थीगण के स्व० भाई मो० युसुफ के उत्तराधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि में से आधी भूमि कुल 30 बिस्वा विक्रय करने का इकरार दिनांक 31-03-10 को किया। बाद में इकरार को विफल करने के उद्देश्य से दिनांक 05-04-10 को ही बदनियतिपूर्वक प्रार्थीगण से षडयंत्र कर विवाद प्रारंभ किया। सभी का मुख्य उद्देश्य इकरार के तहत तय प्रतिफल मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करने अथवा इकरार से विमुख होने मात्र का था। वाद के पद संख्या 9 में वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 05-04-10 को ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 ने इकरार से विमुख होते हुए बाले-बाले तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार आदि को आवेदन भी प्रस्तुत किये हैं, जिससे प्रथम दृष्ट्या ही यह प्रकरण सद्भावना रहित एवं विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण डिस्ट्रिक्शनरी रिलीफ का प्रकरण है तथा प्रार्थीगण का कोई अधिकार ऐसा अनुतोष प्राप्त करने का नहीं है। सत्य स्थिति नहीं लाने एवं विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर ऐसा आवेदन खारिज किए जाने योग्य रहता है। इन स्थितियों में भी यह प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है। वाद में प्रार्थीगण का अनुतोष पैरा संख्या 13(2) में इकरार के प्रतिफल राशि में से उनके हिस्से की राशि दिलवाये जाने बाबत है। स्पष्टतः कथित प्रार्थीगण को अपने काश्तकारी अधिकारों के बजाय कीमत प्राप्त करने का वाद हेतुक प्राप्त होना एवं ऐसा ही अनुतोष प्राप्त करने की मंशा होना स्पष्ट है। इस अनुतोष के लिए माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे भी यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण के उक्त उल्लेखित अनुतोष के सम्बन्ध में उनका वाद कारण अधिकतम अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं 4, 5 के विरुद्ध मात्र रहता है तथा ऐसा अनुतोष भी माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य ही रहता है, जिससे भी यह प्रकरण पोषणीय नहीं रहने से एवं चलने योग्य नहीं रहने से खारिज किए जाने योग्य है विकल्पेन उत्तरदाता अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है। वाद-पत्र के पद संख्या 2, 3, 5, 6 में वर्णित स्थितियों से यह स्पष्ट है कि सन् 1975-76 से कथित प्रार्थीगण का कोई हक-अधिकार, आधिपत्य वर्णित भूमि पर नहीं रहा है। प्रार्थीगण को उनके भाईयों से मृतनाजा जमीन विक्रय किए जाने पर हक-हिस्सा दे दिये जाने हेतु कथित रूप से आश्वस्त किए जाने पर आश्वस्त होने के कथन किए हैं, जिससे भी रिकर्ड में वर्णित इन्द्राजात् से उन्हें ऐतराज नहीं हरना स्पष्ट है। पद संख्या 5 में वर्णित कथनों से 18 साल पहले गनीजी का देहान्त हो जाने, उनके पश्चात् उनका नाम रिकर्ड में नहीं आने की स्थिति उन्हें ज्ञात होना स्पष्ट है। कथित वर्णित स्थितियों में प्रार्थीगण द्वारा 18 वर्षों से लम्बी अवधि तक कोई विवाद नहीं करने से एवं आधिपत्य प्राप्ति की अधिकतम मयाद 12 वर्ष होने से उनके समस्त अधिकार Extinuish हो चुके हैं एवं वे कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं, जिससे समयावधि पारित वाद हेतुक होने से भी आवेदन खारिज किए जाने योग्य है। गत् 18 वर्षों से रिकर्ड में इन्द्राज नहीं होने, तत्पश्चात् म्यूटेशन पारित होने एवं कथित प्रार्थीगण का नाम उसमें भी नहीं होने, ऐसी स्थिति को विवादरहित रिकर्ड में चली आ रही रखे जाने के पश्चात् भाईयों आदि द्वारा विक्रय का इकरार करने एवं फिर भाईयों द्वारा ही मात्र 4-5 दिन में ही विवाद करवाने से यह प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि एक सोची-समझी चाल एवं षडयंत्र के तहत प्रार्थीगण विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण कत्तई सद्भाविक नहीं है। उत्तरदाता आवेदक अप्रार्थी सद्भाविक कंता है। राजस्व रिकर्ड का प्रथम दृष्ट्या सही होने का प्रसंज्ञान है। रिकर्ड में 12 से भी अधिक वर्षों से खातेदार के रूप में भाईयों के नाम चले आ रहे होने एवं उनसे संव्यवहार सद्भाविक रूप से किया जाना स्पष्ट है ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रार्थीगण का सद्भाविक नहीं होना एवं उत्तरदाता अप्रार्थी, तृतीय पक्षकार एवं सद्भाविक पक्षकार होने से उसके अधिकारों को प्रित्युडिस करते हुए कोई कथन श्रवण योग्य नहीं रहते हैं, जिससे भी प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है। अन्यथा भी कथित प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने सद्भावना नहीं रखने, उन्हें उनके हक से वंचित करते हुए भूमि विक्रय करने एवं विक्रय के पश्चात् उन्हें राशि नहीं दिये जाने का वाद कारण बताया है। स्वयं प्रार्थीगण के अनुसार

तीनों प्रार्थीगण की अधिकतम 16 बिस्वा भूमि उनके हिस्से की रहती है। वर्तमान में 60 बिस्वा में से मात्र 28 बिस्वा विक्रय किए जाने पर 32 बिस्वा भूमि शेष पड़ी है। प्रार्थीगण के अधिकार मात्र 16 बिस्वा भूमि तक ही रहते हैं। उसकी बजाय भी 16 बिस्वा भूमि अतिरिक्त पड़ी रहती है। किसी भी रूप में प्रार्थीगण के 16 बिस्वा या अधिकतम 17 बिस्वा भूमि में हक-अधिकार के अलावा अन्य भूमि में कोई हक-अधिकार नहीं होना स्पष्ट होता है, जिससे भी उत्तरदाता अप्रार्थी के विरुद्ध कोई क्लेम या अनुतोष प्राप्ति के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है, जिससे भी प्रकरण खारिज होने योग्य है। प्रकरण में सुस्थापित विधि के तहत प्रार्थीगण की मात्र 16 बिस्वा भूमि के अलावा अन्य भूमि के हस्तांतरण आदि से रोकने का कोई अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, जिससे अन्यथा भी कोई आदेश प्रदान किया जाना समझे जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के हिस्से में शेष रही भूमि में से 16 बिस्वा भूमि को ही प्रिजर्व करते हुए आदेश दिये जाने योग्य रहता है अन्यथा कोई आदेश शेष भूमि में एवं उत्तरदाता अप्रार्थी के विरुद्ध दिये जाने योग्य नहीं रहता है, जिससे भी आवेदन खारिज योग्य है। पदानुसार जवाब में निवेदन किया कि कथित प्रार्थीगण ने विक्रय की गई भूमि में से अपने हिस्से की राशि प्राप्त करने के अधिकार होना क्लेम किया है, जो अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। ऐसा अनुतोष क्लेम करने के पश्चात् प्रार्थीगण के कोई खातेदारी अधिकार वादग्रस्त भूमि में स्वीकृत रूप से नहीं होना स्पष्ट है। इसके अलावा भी प्रार्थीगण द्वारा अपने हक-अधिकार मात्र रूपों की प्राप्ति के अलावा छोड़ दिया जाना प्रथम दृष्ट्या होता है, जिससे भी न तो वाद श्रवण योग्य है, न ही क्षेत्राधिकार का है एवं न ही यह प्रकरण चलने योग्य है, न ही प्रार्थीगण का कथित रूप से कोई प्रथम दृष्ट्या वाद उसके पक्ष में है, न ही कोई अकथनीय हानि एवं सहूलियत का कोई प्रश्न प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रहा है, स्व0 गनीजी के उत्तराधिकारियों के रूप में भी प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ है, स्व0 आसी बाई के उत्तराधिकारियों के रूप में भी कथित प्रार्थीगण का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। रिकॉर्ड की स्थिति 1974 के बाद में गनीजी का स्वर्गवास होने, आसी बाई का स्वर्गवास होने एवं युसुफ का स्वर्गवास होने के कारण 3 बार परिवर्तित हुई है। इसके बावजूद प्रार्थीगण के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना एवं प्रार्थीगण द्वारा विवादित नहीं करने से उनके हक-अधिकार उनके स्वयं द्वारा छोड़ा जाना विकल्पेन समाप्त हुआ ही माने जाने योग्य रहता है एवं इस पद में वर्णित स्थिति से भी प्रार्थीगण को इस स्थिति में कोई ऐतराज नहीं होना ही प्रकट होता है। कथित रूप से थुलीवाला ब्लीचिंग के नाम से अप्रार्थी संख्या 3 ने कोई काम नहीं किया है, न ही कथित उत्तरी हिस्से में अप्रार्थी संख्या 3 का कोई हक-हिस्सा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा वर्णित स्थिति से भी उनके कोई हक-अधिकार नहीं रहने के साथ ही उनका आधिपत्य सन् 1975-76 से नहीं रहना एवं उनके द्वारा उसमें कोई ऐतराज नहीं करना ही स्पष्ट होता है। प्रार्थीगण ने अपने अधिकार भूमि कय करते वक्त अर्थात् सन् 1974 से पहले साथ में काम करते हुए अपनी कमाई से जमीन खरीदने में मदद करने एवं उसी आधार पर उनका हिस्सा होने के कथन करने का प्रयास किया है। प्रथमतः मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार की कोई अवधारणा नहीं है, जिससे इस आधार पर कथित क्लेम निराधार है। इसके अलावा भी कथित बताई गई स्थिति बेनामी संव्यवहार में आती है, जो Benami Transaction Prohibition Act के तहत बाधित है एवं रिकॉर्ड से विपरित कथन करने का कोई अधिकार किसी को प्राप्त नहीं रहता है, जिससे कथित प्रार्थीगण के कथित कथन किसी भी रूप से श्रवण योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने भाईयों के द्वारा (अर्थात् अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा) अपने हक-हिस्से की जमीन विक्रय किये जाने पर हिस्सा दिये जाने के आश्वासन पर रिकॉर्ड के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं करना स्वीकार करना प्रतीत होता है ऐसी स्थिति के होते हुए उत्तरदाता अप्रार्थी या अन्य तृतीय पक्षकार द्वारा सद्भाविक रूप से रिकॉर्ड पर एवं समस्त स्थितियों पर रिलाय करते हुए संव्यवहार किया जाता है तो उसके अधिकारों पर किसी भी रूप से क्षति पहुंचाते हुए कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं रहता है। कथित कथनों से भी प्रार्थीगण का वाद हेतुक अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एवं उनसे उनके हिस्से की राशि प्राप्त करने तक ही सीमित रहता है। दिनांक 31-03-10 का इकरार है एवं दिनांक 5-4-10 को ही इकरार करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीगण के साथ मिलकर कथित रूप से आपत्ति करना प्रकट किया है, जिनसे उनका षडयंत्र एवं विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना ही प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है, जिससे भी कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी प्रथम दृष्ट्या ही नहीं रहते हैं। वर्णित स्थितियों से भी 18 साल पहले वाद हेतुक कथित रूप से पैदा होने एवं उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उनका क्लेम समयावधि पारित होना ही स्पष्ट होता है। प्रार्थीगण की अप्रार्थी संख्या 1 से 5 से मिलावट ही प्रतीत होती है तथा अपने मिलावट एवं षडयंत्र में सफल नहीं होने पर एवं ऐनवक्त पर अप्रार्थी संख्या 2 एवं 4, 5 द्वारा उन्हें सहयोग नहीं करने पर वाद प्रस्तुत करना प्रकट होता है। वादग्रस्त भूमि का मूल्य 60,00,000/- रुपये होने के कथन गलत है, परन्तु ऐसे कथनों से वाद प्रस्तुत करने की दुराशा स्पष्ट होती है। अकृषि उपयोग एवं पैचिदगी पैदा करने को प्रयासरत् होने के कथन

  
**सहायक कलेक्टर**  
 पाली (राज.)

निराधार रूप से मात्र न्यायालय को भ्रमिक करने के उद्देश्य से किये गये हैं। अपने कथित रूप से हिस्से के अनुरूप 4,31,818/- रुपये की राशि की मांग ही की गई है, जिससे भी प्रार्थना-पत्र अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना स्पष्ट है। प्रार्थीगण का कथित रूप से कोई हक-हिस्सा नहीं है एवं न ही इनके कोई हक-अधिकार हैं। वर्णित कथन भी अधिकतम प्रार्थीगण को अपने कथित भाईयों के विरुद्ध ही वाद हेतुक पैदा होना स्पष्ट करते हैं। प्रार्थीगण के कथित भाईयों द्वारा कोई समुचित एवं सद्भाविक व्यवहार कथित प्रार्थीगण के साथ नहीं करने पर तृतीय पक्षकार के विरुद्ध उन्हें कोई हक-अधिकार प्राप्त नहीं रहते हैं, न ही तृतीय पक्षकार द्वारा की गई सद्भावनापूर्ण कार्यवाही को विवादित करने का कोई अधिकार रहता है, न ही ऐसा कोई अनुतोष दिया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण, रद्दोबदल एवं रिसीवर नियुक्ति आदि के समस्त अनुतोष की मांग भी प्रार्थीगण की बदनियति को ही स्पष्ट करता है। प्रार्थीगण के कोई हक-अधिकार नहीं हैं। प्रार्थीगण को विधितः पंजीकृत भू-धारकों एवं सहखातेदारों को विक्रय करने से रोकने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण के केस से ही उनका कोई आधिपत्य किसी भूमि पर नहीं रहा है, जिससे किसी भी रूप से कोई अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। चाहे अनुतोष अनुरूप कोई स्थगन आदेश जारी करने, हस्तांतरण करने, बेचान करने एवं यथास्थिति बनाये रखे जाने के अनुतोष प्राप्ति के कोई अधिकारी नहीं हैं, न ही रिसीवर नियुक्ति का कोई आदेश दिये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरुद्ध अस्थाई प्रकरण में चाहे गये अनुतोष जैसा कोई अनुतोष मूल वाद में ही नहीं है, जिससे ऐसे अनुतोष का भी कोई औचित्य नहीं है। कोई अनुतोष दिये जाने योग्य नहीं है एवं आवेदन भारी व्यय सहित खारिज किए जाने योग्य है। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि कथित प्रार्थीगण का आवेदन भारी व्यय सहित खारिज किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परिवार में आपसी समझौता होने से बंटवाड़ा होते हम अप्रार्थीगण 1 व 3 का उत्तरी अगला हिस्सा करीब 1½ बीघा (30 बिस्वा) पर हक हिस्सा रहते काफी समय से यानि करीब 15 वर्ष से अधिक समय से थुलीवाला बिल्डिंग के तौर पर धुलाई, अडाण, हौदे, पानी बेरा रहते अप्रार्थी मो0 साबिर व उनका लड़का मो0 इमरान संचालन करते आ रहे हैं तथा पिछले दक्षिणा हिस्सा करीब 1½ बीघा अप्रार्थी संख्या 2 गुलाम रसूल एवं अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 सभी का हक हिस्सा रहते पूर्व से उपयोग रहते कुछ अर्से पहले दिनांक 31-03-2010 को हस्तान्तरण जरिये बेचान इकरार अप्रार्थी संख्या 6 के नाम करने की स्थिति रखी एवं फिर आपस में मिलावट से उक्त भूमि में से 14-14 बिस्वा भूमि की बेचान रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 6 एवं अन्य नरपतसिंह के नाम अभी दिनांक 23-04-2010 को मिलावट से करवायी गयी है। मुस्लिम विधि अनुसार प्रार्थीगण (वारिसान) यानि बहनों का हक हिस्सा होने से सही स्थिति में हम अप्रार्थीगण 1 व 3 ने अपने हक हिस्से व कब्जे के उपयोग की अगली उत्तरी हिस्से के पीछे की ओर से अपनी सीमा हदबंदी में प्रार्थीगण को हिस्सा देते हुए उसके आगे 12 फीट चौड़ाई में रास्ता व लम्बाई में आगे आम रास्ता तक पहुंचने हेतु फाटक तक 12 फीट रास्ता रखते हुए जिन रास्तों का उपयोग प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 व 3 के स्वयं व वारिसानों द्वारा उपयोग में लेने की सहमति होने से विवादित स्थिति नहीं रही है। चूंकि मुस्लिम विधि अनुसार भाईयों से आधा हिस्सा जाइन्दा पुत्रियां वारिसान होने से हकदार है। तथाकथित बेचान इकरार दिनांक 31-3-2010 में हमारे अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाते हमें शामिल करने जबकि हमने कोई राशि नहीं ली तथा मौके पर काफी लम्बे समय से अगले व पिछले हिस्से 1½ बीघा अलग तौर पर रहते आने के कारण पिछले दक्षिणी हिस्से से हमारा कोई सरोकार नहीं था मगर हम अप्रार्थीगण के मनचाहे अनुसार हस्ताक्षर व फोटो लेने को देखते श्री सब रजिस्ट्रार, पाली को दिनांक 05-04-2010 एवं 22-04-2010 को आवेदन पेश किये गये व पुलिस कार्यवाही पर सी.आर. नंबर 165 दिनांक 21-04-2010 पी.एस. कोतवाली पाली मामला तपतीश में है। हम अप्रार्थीगण 1 व 3 ने मुस्लिम विधि अनुसार जायन्दा पुत्रियों का बतौर वारिसान के हक हिस्सा होने से पारिवारिक मामले में विवाद बढ़ाने की चेष्टा नहीं रखते आपसी समझाइश रखते प्रार्थीगण का हक हिस्सा आपस में बैठकर सुलटा लेने की स्थिति की है। जबकि दक्षिणी पिछले हिस्से से सरोकार अप्रार्थीगण 2 व 4, 5 व 6 का रहने से प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से बाबत सुलटारा नहीं किये जाने तक पंचिदगियां नहीं बढ़ाने हेतु यथास्थिति रखी जाना न्याय एवं विधि की मंशा है तथा विवादित भूमि पिछला दक्षिण हिस्सा बाबत मामला विचाराधीन होने एवं विवादित होने से वाद के निस्तारण तक आगे हस्तान्तरण पर रोक रखी जाते यथास्थिति बदली जाने को रोकी जाना लाजमी है। जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण 1 व 3 द्वारा अपने से संबन्धित हक हिस्से से संबन्धित अगला उत्तरी हिस्सा में 1½ बीघा हिस्सा आपसी समझाइश से प्रार्थीगण के हक हिस्से

  
**सहायक कलेक्टर**  
 पाली (राज.)

बाबत सहमति हो जाने से हमारे खिलाफ कार्यवाही फैसल फरमावें तथा पिछले दक्षिणा हिस्सा 1½ बीघा भूमि विवादित बाबत न्यायोचित आदेश फरमावें।


5. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार रहे गनीजी की प्रार्थीगण बेटीयां है। पाली चक 1 में स्थित खसरा नंबर 1206/2 रकबा 3 बीघा भूमि में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि में जमीन बेचने पर प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्सा की सुरक्षा के लिए मूल वाद तथा स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि का बेचाण करने से रोका जावे तथा मौके तथा रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।


7. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण वाद ग्रस्त भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार नहीं है तथा न ही कब्जा-काश्त प्रार्थीगण का ही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है अगर बनता भी है तो वह मूल वाद में बाद ट्रायल तक किया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि इब्राहिम पुत्र अहमद, गनी पुत्र इब्राहीम, मु0 हाजरा बेवा गफूर कोम छीपा द्वारा रेवाचंद पुत्र मांगुलाल कौम सिंधी से खरीद की गई थी। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खरीद की गई है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्ट्या मामला किस प्रकार से बनता है यह स्पष्ट कर पाने में असफल रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या 8 में जिस तरह की रिलीफ चाही गई है उसके आधार पर सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नहीं पाये जाने से उसे अपरिमित क्षति होने की भी कोई संभावना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार बनता है अथवा नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में बाद ट्रायल ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 7 एवं धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नथी की जावे।

  
सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)